(1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला दूदू

मु0नं0 :– 34/2021
निर्णय दिनांक :– 10.12.2024
बइजलास :– राकेश कुमार II (आर0ए0एस0)

1. बाबू खां पुत्र पीरू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

बनाम

1. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
2. हमसी पत्नि इमामुद्दीन खां
3. जरीना पत्नि भूरे खां
4. बजरूदीन पुत्र भूरे खां
5. शकीनाबानों पत्नि नूरमोहम्मद

समस्त जाति मुसलमान निवासी ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

अप्रार्थीगण

उपस्थिति विद्वान अधिवक्ता :– श्री रामावतार सैन वकील प्रार्थी

प्रार्थना पत्र तरमीम दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 111 एल.आर.एक्ट.

निर्णय दिनांक :– 10.12.2024

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 554 वाके ग्राम भोजपुरा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है। जो मूल खसरा नम्बर है और जिसका रकबा काफी बडा है। उक्त मूल खसरा नम्बर का पूर्व में काश्तकारों के कब्जानुसार विधिवत तकासमा हो चुका है। और जिसके अलग–अलगबट्टा नम्बर खसरा नम्बर 554/1, 554/2, 554/3 डाले गये, लेकिन वरवक्त विभाजन उक्त बट्टा नम्बरो की कब्जेनुसार तरमीम नहीं हो सकी। जिस पर उक्त खसरा नम्बर 554 बिना तरमीम ही यथावत चला आ रहा है। पूर्व में हुये विभाजन के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 554/1 रकबा 0.5690 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी एवं ख0न0 554/2 रकबा 0.8852 हैक्टेयर, गै०मु०आबादी हेतु तथा ख0न0 554/3 रकबा 0.3794 हैक्टेयर भूमि के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिनके राजस्व रिकार्ड में बट्टा नम्बर तो

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

डाले जा चुके है। लेकिन उक्तानुसार राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस में तरमीम नही हुयी है। और उक्त मूल खसरा नम्बर 554 बिना राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम के अपने मूल स्वरूप में ही ग्राम भोजपुरा के नक्शा ट्रेस में यथावत चला आ रहा है। अभी राज्य सरकार की योजना के तहत तहसील क्षेत्र के सभी राजस्व गांवों का राजस्व रिकार्ड यथा जमाबन्दी नक्शा ट्रेस ऑनलाईन किया जा रहा है, जिसके अनुसार जमाबन्दी को ऑनलाईन किये जाने का कार्य सम्पन्न हो चुका है और नक्शा ट्रेस को ऑनलाईन किये जाने का कार्य प्रगति पर है। इसी श्रृंखला में राजस्व कर्मचारियों द्वारा जिन खसरा नम्बरों का विभाजन हो चुका है अथवा जिनमें पूर्व से ही बट्टा नम्बर डाले जा चुके है। उनकी भी तरमीम खातेदारान के मौके पर कब्जेनुसार की जा रही है और उसे ऑन लाईन चढाया जा रहा है। चूंकि विवादित भूमि के मूल खसरा नम्बर 554 का भी विभाजन हो गया था और उसके बट्टा नम्बर पूर्व से ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज थें। लेकिन उक्त बट्टा नम्बर अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम की जानी थी। लेकिन अप्रार्थीगण ने राजस्व कर्मचारियों को मुगालते में रखकर प्रार्थी के बुर्जुगों व अनपढ होने का नाजायज फायदा उठाकर उक्त बट्टा नम्बरों की तरमीम मौके पर वास्तविक कब्जानुसार नहीकरवाकर अपनी मनमर्जी से प्रार्थी के हिससे में आये खसरा नम्बर 554 / 1 को चारो ओर से बन्द करते हुये रास्ते के लगवा करवा ली और जिसे ऑन लाईन नक्शें में चढा दिया जा कि प्रार्थी को बिना सुने बगैर कब्जे के विपरित की गयी है, जो पूर्णतया गलत है। तथा बिना वास्तविक कब्जे के की गयी है। उक्त मूल खसरा नम्बर 554 के बट्टा नम्बरों की राजस्व कर्मचारियों द्वारा जिस प्रकार से तरमीम की गयी है, वह रिकार्ड व मौके कब्जेनुसार बाला–बाला तरीके से की गयी तरमीम है, जबकि उक्त मूल खसरा नम्बर 554 का जो सेटलमेन्ट का नक्शा है उसके अनुसार भी ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में आमूलचूल परिवर्तन कर दिया है तथा चारो और की सीमाओं के साथ भी छेडखानी की गयी है, जिससे जो खातेदार उक्त मूल खसरा नम्बर की सीमा के पास काबिज काश्त था उसको भी उसके कब्जे से वहां से हटाया जा सकता

लगातार......................3

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जयपुर

है जबकि मूल खसरा नम्बर 554 का सेटलमेन्ट से जारी जो नक्शा है उसी के अनुसार रकबे के खातेदार काश्तकार मौके पर काबिज काश्त है। उक्त कारणवश राजस्व कर्मचारियों द्वारा जो खातेदारी/आबादी की तरमीम की गयी है और उक्त मूल खसरा नम्बर की सीमाओं के साथ जो छेडछाड की गयी है उसको राजस्व नक्शा लट्ठा ट्रेस व ऑनलाईन नक्शा में दुरूस्त करवाने वास्ते उक्त प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है। उक्त गलत तरमीम होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आयेदिन कब्जे काश्त व सीमओं को लेकर बाहजोत के समय झगडा फसाद होने लगा है, तथा अप्रार्थीगण गलत तरमीम का फायदा उठाकर प्रार्थी के साथ झगडा फिसाद कर उनके द्वारा काश्त की गयी फसल को खुर्द बुर्द करने पर उतारू रहते है। इसलिये प्रार्थी को अपने हक–हकूको की रक्षार्थ मान्य न्यायालय विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र बाबत् किये जाने तरमीम दुरूस्ती मान्य न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ है। अभी हाल ही में दिनांक 24.06.2021 जब प्रार्थी अपने हिस्से की आराजीयात जहां प्रार्थी मौके पर वास्तविक रूप से काबिज काश्त चला आ रहा है, पर अपनी फसल की देखभाल करने गया तो अप्रार्थीगण एकराय होकर आये और उक्त प्रकार से की गयी गलत तरमीम के आधार पर कहने लगे कि हमनें जहां तुम काबिज हो उस जगह की तरमीम अपने हक में करवा ली है आयन्दा इस भूमि पर काश्त नही करोगे अन्यथा गम्भीर परिणाम भुगतने पडेगें। तथा मौके पर गलत तरमीम का फायदा उठाकर प्रार्थी की आराजी को खुर्द्ध बुर्द्ध कर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। जिस पर प्रार्थी ने पटवारी हल्का से सम्पर्क कर सीमाज्ञान के लिये कहां तो पटवारी हल्का ने मान्य न्यायालय से तरमीम करवाने की कहने तथा अप्रार्थीगण द्वारा जबरन लाटी के जोर पर मौके से प्रार्थी को बेदखल करने की ऐलानिया धमकी दिये जाने से प्रार्थी को प्राकृतिक न्याय के सिद्धातों के अनुसार तरमीम दुरूस्ती प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अप्रार्थीगण ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में की गयी विधि विरूद्ध तरमीम के आधार पर प्रार्थी को मौके व कब्जे से बेदखल करने के अपने उपरोक्त मन्सूबों मे कामयाब हो गये

लगातार.....4

उपखण्ड अधिकारी
कोटा, जयपुर

तो प्रार्थी को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा तथा पैतृक सम्पति के हक हकूको से महरूम होना पडेगा व्यर्थ में मुकदमें बाजी बढेगें तथा खर्चे से जेरबार होना पडेगा ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हितो की रक्षार्थ मान्य न्यायालय में प्रार्थना पत्र दरूस्त किये जाने ऑनलाईन नक्शा ट्रेस पेश करना आवश्यक हुआ है। पक्षकारान का निवास स्थान व विवादग्रस्त आराजी श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में स्थित होने से वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त है।

प्रार्थना दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 5 बाद तामिल हाजिर अदालत नहीं आये। इसलिए अप्रार्थी सं. 2 लगातय 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी सं. 1 पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा अपना जवाब पेश किया। अपने जवाब में बताया कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में खसरा नं. 554/1 रकबा 0.5690 हैक्टेयर दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन न होकर वादी के पिता पिरू पुत्र खुदाबक्श जाति बंजारा निवासी सा. देह के नामान्तकरण सं. 106 के द्वारा खसरा नं. 554 आवंटन दर्ज हुआ है। ग्राम भोजपुरा के खसरा नं. 554/1, 554/2 व 554/3 नक्शा लट्ठा में पेंसिली तरमीम शुदा है एवं वर्तमान डीआईएलआरएमपी शीट मे भी उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम नक्शा लट्ठा पेंसिली तरमीम के अनुसार है। ग्राम भोजपुरा में मूल खसरा नं. 554 का विभाजन न होकर मूल खसरा 554 सिवायचक से आवंटन होकर नये खसरा नं. 554/1, 554/2 व 554/3 बने। ग्राम भोजपुरा के नक्शा लट्ठा व डीआईएलआरएमपी शीट में खसरा नं. 554 की सीमा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है।

बहस सुनी गई। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर पाया कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 वाके ग्राम भोजपुरा के खाता संख्या 189 के ख.नं. 554/1 मे प्रार्थी रिकार्डेड सहखातेदार है। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के तथ्यों में अंकन किया कि ग्राम भोजपुरा के खसरा नं. 554/1, 554/2 व

लगातार.....5

उपखण्ड अधिकारी
कानोता, जयपुर

(5)

554 / 3 नक्शा लट्ठा में पेंसिली तरमीम शुदा है एवं वर्तमान डीआईएलआरएमपी शीट में भी उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम नक्शा लट्ठा पेंसिली तरमीम के अनुसार है। ग्राम भोजपुरा के नक्शा लट्ठा व डीआईएलआरएमपी शीट में खसरा नं. 554 की सीमा में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक मे हम प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट सारहीन होने के कारण खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2024 को सरे इजलास सुनाया जाता है।

10/12/24.

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते